प्रेषक,

राज रतन,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
राष्ट्रीय बचत निदेशालय,
विकासदीप, 22 स्टेशन रोड, उ0प्र0, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 2016

विषय:- उत्तर प्रदेश सचिवालय की भांति सचिवालय से इतर राजकीय विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेड वेतन रू0 1900/- दिये जाने से संबंधित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय की भांति सचिवालय से इतर राजकीय विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेड वेतन रू0 1900/- दिये जाने के संबंध में मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-21/2016/वे0आ0-2-397/दस-2016-8 (मु0स0स0)/ 2011 दिनांक 30 मार्च, 2016 के अनुसार राष्ट्रीय बचत निदेशालय के चतुर्थ श्रेणी के निम्नतम पदों से कतिपय शर्तो के अधीन पदोन्नति हेतु साइक्लोस्टाइल-आपरेटर-कम-दफतरी तथा दफतरी के 02 पदों पर, जिन पर चतुर्थ श्रेणी में निम्नतम पदों से पदोन्नति की जाती है पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 2610-3450 (सादश्य ग्रेड वेतन रू0 1400) उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 1800/- के स्थान पर वेतन बैण्ड-1 एंव ग्रेड वेतन रू0 1900/- तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपरोक्तानुसार उच्चीकृत ग्रेड वेतन में संबंधित पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3- उक्त उच्चीकृत ग्रेड वेतन की व्यवस्था विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-वे0आ0-1-648/दस-2016, दिनांक 8-8-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज रतन)

उप सचिव।

संख्या-4/2016/एस0ई0-331(1)/दस-16, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-तीन प्रतियों में)

3- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।

4- कार्मिक नियमावली सेल, उ0प्र0 सचिवालय।

आज्ञा से,

(राज रतन)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।